

प्रेस कार्यालय

यू.एस. डेपार्टमेंट ऑफ होमलैंड एंड  
सेक्योरिटी



**FEMA**

U 500 C Street, SW  
Washington, DC 20472

3 अगस्त 2007

## प्रश्न और उत्तर बारबार पूछे जानेवाले प्रश्न

आवेदकों की जानकारी का खुलासा करने के संबंध में एफओआईए का निर्णय

एफओआईए निर्णय फेमा से क्या करने को कहता है? यह जानकारी क्यों और कसि दी जा रही है? सूचना की आजादी अधिनियम (फ्रीडम ओफ इन्फोर्मेशन एक्ट (एफओआईए)) के तहत चलाई गई अदालती कार्रवाई न्यूस-प्रेस बनाम डीएचएस/फेमा, के परिणामस्वरूप ग्यारहवीं सर्किट के संयुक्त राज्य अपील न्यायालय ने फेमा से नमिनलखिति का खुलासा करने को कहा है:

- उन व्यक्तियों के पते, जिन्होंने 2004 के फ्लोरिडा हरकिनों के बाद फेमा से वपिदा सहायता के लिए आवेदन किया था और उनके भी जिन्होंने फ्लोरिडा में 2004 के हरकिनों के लिए राष्ट्रीय बाढ़ बीमा कार्यक्रम के तहत बाढ़ बीमा क्लेम रखे थे, फोर्ट मयर्स, फ्ला. के द न्यूस-प्रेस, पेन्साकोला न्यूस जर्नल और साउथ फ्लोरिडा सन-सेंटनिल को उपलब्ध कराए जाएं।
- साउथ फ्लोरिडा सन-सेंटनिल को 1998 और 2004 के बीच जनि व्यक्तियों ने फेमा से वपिदा सहायता के लिए आवेदन किया था, उनके पते; और,
- 2004 के फ्लोरिडा हरकिनों के बाद जनि व्यक्तियों ने राष्ट्रीय बाढ़ बीमा कार्यक्रम के तहत बाढ़ बीमा क्लेम रखे थे, उनके पते।

[www.fema.gov](http://www.fema.gov)

यह जानकारी सामान्यतः नजिता (प्राइव्हेसी) अधिनियम और नजि प्राइव्हेसी के लिए एफओआईए के अपवाद के तहत रक्षित होती है। फेमा किसी का नाम या अन्य नजि जानकारी जैसे सामाजिक सुरक्षा संख्या या बैंक खातों के नंबर, या पते का खुलासा नहीं कर रहा है।

अदालत ने आवेदकों के पतों का खुलासा करने का अपना नरिणय 2004 के फ्लोरिडा हरकिनों के समय की वशिष्ट परस्थितियों के आधार पर किया है और उसने तय किया है कि फेमा द्वारा इन परस्थितियों में जो वपिदा सहायता बांटी, उसमें सार्वजनिक रुचि अपनी नजिता (प्राइव्हेसी) बरकरार रखने की व्यक्तियों की रुचि से अधिक प्रबल है। फेमा अदालत के आदेश का पालन करेगा।

### इस अदालती नरिणय से कितने आवेदक प्रभावित हो रहे हैं?

यह अदालती नरिणय लाखों परिवारों को प्रभावित करता है। इसमें शामिल हैं 20 लाख से अधिक फेमा आवेदकों से संबंधित जानकारी का खुलासा।

### यह अदालती नरिणय कौन-कौन सी वपिदाओं से संबंधित है?

यह अदालती नरिणय 1998 से 2004 के बीच आठ राज्यों में हुई 31 वपिदाओं से संबंध रखता है। इस नरिणय से संबंधित वशिष्ट वपिदाओं में शामिल हैं 2004 के चार्ली, फ्रान्सेस, इवान और जीनी हरकिन; 2003 का इसाबेल हरकिन; 1999 का फ्लोइड हरकिन; 1998 का जोर्ज हरकिन; और 24 अन्य प्रमुख वपिदाएं। जिन राज्यों से इसका संबंध है, वे हैं अलबामा, कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, लूसियाना, मशिगिन, उत्तर करोलिना, ओहियो और वस्कॉन्सिन।

नीचे की तालिका में उन वपिदाओं की सूची दी गई है जिनका इस नरिणय से संबंध है:

राज्य	वपिदा नंबर	दिनांक	शीर्षक
अलबामा	1250	09/30/1998	हरकिन जोर्ज
	1438*	10/09/2002	इसडोर उष्णकटबंधीय तूफान
	1466	05/12/2003	गंभीर तूफान, घूर्णवात और बाढ़
	1549	09/15/2004	हरकिन इवान
कैलिफोर्निया	1203	02/09/1998	सर्दियों के गंभीर तूफान और बाढ़
	1498	10/27/2003	जंगल की आग

[www.fema.gov](http://www.fema.gov)

फ्लोरिडा	1204	02/12/1998	गंभीर तड़ति झंझा, घूर्णवात और बाढ़
	1306	10/20/1999	हरकिन इरीन
	1345	10/04/2000	भारी वर्षा और बाढ़
	1460	04/25/2003	घूर्णवात
	1539	08/13/2004	हरकिन चार्ली और उष्णकटबिंधीय तूफान बोनी
	1545	09/04/2004	हरकिन फ्रान्सेस
	1551	09/16/2004	हरकिन इवान
	1561	09/26/2004	हरकिन जनि
लूसियाना	1246	09/23/1998	उष्णकटबिंधीय तूफान फ्रान्सेस और हरकिन जोर्ज
	1435	09/27/2002	इसडोर उष्णकटबिंधीय तूफान
	1437	10/03/2002	हरकिन लली
	1548	09/15/2004	हरकिन इवान
मशिगिन	1346	10/17/2000	गंभीर तूफान और बाढ़
	1527	06/30/2004	गंभीर तूफान, घूर्णवात और बाढ़
उत्तर करोलाना	1240	08/27/1998	हरकिन बोनी
	1292	09/16/1999	हरकिन फ्लोइड और इरीन
	1490	09/18/2003	हरकिन इसाबेल
	1546	09/10/2004	उष्णकटबिंधीय तूफान फ्रान्सेस
	1553	09/18/2004	हरकिन इवान
ओहियो	1444	11/18/2002	गंभीर तूफान और घूर्णवात
	1484	08/01/2003	घूर्णवात, बाढ़, गंभीर तूफान और तेज हवाएं
	1519	06/03/2004	गंभीर तूफान और बाढ़
वसिकोन्सनि	1238	08/12/1998	वसिकोन्सनि गंभीर तूफान और बाढ़
	1332	06/23/2000	गंभीर तूफान, घूर्णवात और बाढ़
	1526	06/18/2004	गंभीर तूफान और बाढ़

\* इस वपिदा के लिए व्यक्तिगत सहायता की घोषणा नहीं हुई।

**फेमा कब और कैसे आवेदकों को सूचित करेगा कि उनसे संबंधित जानकारी का खुलासा किया जा रहा है?**  
अगस्त के पहले सप्ताह में फेमा प्रभावित व्यक्तियों से संपर्क साधने का प्रयास शुरू करेगा। फेमा आवेदक की फाइल में वदियमान अंतिम ज्ञात पते पर पत्र भेजेगा और अंतिम ज्ञात फोन नंबर पर फोन करेगा। (पत्र और स्क्रिप्ट की कड़ी)

**यदि मैंने एक से अधिक वपिदाओं के बाद संघीय सहायता के लिए आवेदन किया हो, तो क्या मुझसे एक से अधिक बार संपर्क किया जाएगा?**

हां, फेमा प्रत्येक आवेदक को हर वपिदा के लिए अलग से सूचित करेगा। यदि आपने इस अदालती निर्णय से प्रभावित वपिदाओं में से एक से अधिक वपिदाओं के लिए सहायता आवेदन किया था, तो आपसे एक से अधिक बार संपर्क किया जाएगा।

**क्या आवेदक से संबंधित इस तरह की जानकारी भावी वपिदाओं सहित अन्य वपिदाओं के लिए भी सार्वजनिक की जाएगी?**

नहीं, फेमा एफओआईए और नजिता (प्राइवैसी) अधिनियम के तहत पहचानी जा सकनेवाली आवेदक जानकारी की रक्षा करता रहेगा।

**क्या एफओआईए के निर्णय के फलस्वरूप जो सूचना इन अखबारों की दी जा रही है, वह अनुरोध करने पर दूसरों को भी दी जाएगी?**

हां। यद्यपि यह सूचना सामान्य तौर पर नजिता (प्राइवैसी) अधिनियम और नजि प्राइवैसी के लिए एफओआईए अपवाद द्वारा रक्षित है, फिर भी फ्लोरिडा के समाचार संगठनों को दिए जाने के बाद, “एक को दिया, तो सबको दो” वाले एफओआईए कानून के तहत फेमा को यह सूचना उन सबको भी देनी होगी जो इसकी मांग करते हैं।

**क्या जानकारी के इस खुलासे के परिणामस्वरूप समाचार अभिकरण मुझसे सीधे संपर्क कर सकेंगे?**

हां। फेमा से कहा गया है कि वह आवेदकों के वपिदाग्रस्त घरों के पते उपलब्ध कराए। लेकिन यदि समाचार संगठन एफओआईए के तहत पहले जाहिर की गई जानकारी से इन पतों का मिलान करेंगे, तो उन्हें नजि

[www.fema.gov](http://www.fema.gov)

आवेदकों के बारे में काफी जानकारी प्राप्त हो जाएगी, जैसे उन्हें कतिनी मदद राशिमिली और उनके बीमा क्लेमों की स्थिति क्या है।

**क्या यह जानकारी सभी अखबारों को एक साथ दिया जाएगा?**

नहीं। *न्यूस-प्रेस* ने फ्लोरिडा के मध्य जिले (मडिलि डिसट्रिक्ट) की अदालत में शिकायत दर्ज की थी, जिसने यह निर्णय दिया कि निजिता (प्राइवैसी) संबंधित चर्चाओं को ध्यान में लेते हुए फेमा को वपिदाग्रस्त आवेदकों के नाम और पते का खुलासा करना आवश्यक नहीं है। इसलिए *न्यू-प्रेस* को कोई सूचना देने के पहले फेमा को इंतजार करना पड़ेगा कि ग्यारहवीं सर्कटि की अपील अदालत के निर्णय के बाद मध्य जिले की अदालत किस तरह का नया आदेश जारी करती है।